

लाखों आदिवासियों और वनवासियों पर 2 अप्रैल के बाद मंडरा रहा बेदखली के आदेश का स्तरा 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी एक महत्वपूर्ण केस की सुनवाई। पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी - 2019 में - तब सत्रह लाख से भी अधिक परिवारों को संभावित बेदखली का सामना करना पड़ा था। हालांकि तब कोर्ट ने अपने इस आदेश को रोक दिया था और परिवारों पर मंडरा रहे बेदखली के संकट को ताला जा सका।

लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक वन्यजीव एनजीओ चाहता है कि सर्वोच्च अदालत उन लोगों को बेदखल करने का आदेश दे, जिनके वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावे खारिज कर दिए गए थे - भले ही इस बात के पर्याप्त सबूत हों कि उनके दावों को अवैध और गलत रूप से खारिज किया गया था। 2 अप्रैल को वे फिर से ऐसा करने की कोशिश करेंगे और और और ज्यादा जोर से प्रहार करेंगे। वे अब चाहते हैं कि अदालत वनवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम से पहले की स्थिति को वापस स्थापित कर दे, जहाँ वन आश्रित समुदाय को अधिकार धारक नहीं बल्कि वन विभाग की दया पर रहना और जीवनयापन करना चाहिए।

फरवरी 2019 में, देशव्यापी विरोध के बाद अपने आदेश को रोककर, अदालत ने राज्य सरकारों को खारिज हुए दावों कि समीक्षा करने का निर्देश दिया।

लेकिन यह समीक्षा प्रक्रिया फिर से उन्हीं अवैधताओं से ग्रस्त हो गई है - न तो केंद्र सरकार और न ही अधिकांश राज्य सरकारों ने इस कानून को लागू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं।

पृष्ठभूमि: वन अधिकार अधिनियम क्या है?

2006 तक, भारत के वन कानून अंग्रेजों से विरासत में मिले थे। उन कानूनों के परिणामस्वरूप देश के लगभग एक चौथाई हिस्से कि भूमि को "वन भूमि" माना गया और सरकारी संपत्ति घोषित किया गया, बिना उन करोड़ों लोगों (ज्यादातर लेकिन केवल आदिवासी नहीं) के अधिकारों पर विचार किए जो इन भूमियों पर रहते थे, उनका उपयोग करते थे और उनकी रक्षा करते थे। इस "ऐतिहासिक अन्याय" को केंद्र सरकार ने कई बार पहचाना; लेकिन 2004-2006 में राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन के बाद FRA पारित होने से पहले तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वन अधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और "अन्य पारंपरिक वनवासियों" के लिए तेरह अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है, जिसमें भूमि, लघु वन उपज, चरागाह आदि पर अधिकार शामिल हैं, साथ ही जंगलों की रक्षा और प्रबंधन के महत्वपूर्ण अधिकार भी शामिल हैं जैसा कि वे सदियों से करते आ रहे हैं।

लेकिन यह कानून भारत की वन प्राशसन को पसंद नहीं आया क्योंकि यह वन आश्रित लोगों को बेदखल करने और परेशान करने के साथ-साथ वन भूमि को बड़ी परियोजनाओं या कंपनियों को सौंपने की उनकी शक्ति को भी छीन लेता है। नतीजतन, एक के बाद एक राज्य और केंद्र स्तर पर इसके क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न की गई है।

मुट्ठी भर वन्यजीव एनजीओ इस कानून के विरोध का चेहरा बन गए (हालांकि, आज भारत में अधिकांश पर्यावरण संगठन इस कानून का समर्थन करते हैं)। उन्होंने 2008-2009 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और कई उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वे इस कानून पर रोक लगाने

के लिए अदालत से अनुरोध करने में असमर्थ रहे। हालांकि, समय-समय पर उन्होंने इस मामले को फिर से शुरू किया है - वाइल्डलाइफ फस्टर्ट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य - कानून को कमज़ोर करने के प्रयास में।

मामले में हालिया घटनाक्रम - वाइल्डलाइफ फस्टर्ट एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य।

13 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 17 लाख या 17 लाख से अधिक वनवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार दावों को खारिज कर दिया गया था। चौकाने वाले इस आदेश ने पूरे देश में हड्डकम मचा दिया। वन अधिकार समूहों के विरोध के बाद, जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) ने दावों को गलत तरीके से खारिज करने के लिए प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर करते हुए कोर्ट में हस्तक्षेप किया, जिसके कारणवश अदालत को अगली सूचना तक बेदखली के आदेश पर रोक लगानी पड़ी और राज्यों को खारिज किए गए दावों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। SC ने राज्य सरकारों को दावों को खारिज करने के दिए गए खारिज करने के आदेशों और उसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण रिकॉर्ड पर रखते हुए विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें वे आधार शामिल हैं जिन पर दावों को खारिज किया गया, क्या दावों को खारिज करते समय तर्कपूर्ण आदेश पारित किए गए थे, क्या वनवासियों को अपील करने और सबूत पेश करने का अवसर दिया गया था।

राज्य सरकारों को सभी खारिज किए गए दावों की समीक्षा करनी थी। हालांकि समीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश या दिशानिर्देश नहीं दिए जाने के कारण, राज्यों ने अपने स्वयं के तंत्र और प्रक्रियाओं का पालन किया, जिससे अधिकारों के निर्धारण के लिए कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ और कुछ राज्यों ने तो ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया, जो कानूनी प्रक्रिया, विशेषकर ग्राम सभाओं के निर्णय लेने के अधिकार को कमज़ोर करती है।

क्या हुआ खारिज दावों की समीक्षा के दौरान ?

1. **खारिज दावों के दर में इज़ाफा** और उचित कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन: दावेदारों या ग्राम सभाओं को उचित कारण बताए बिना या दावेदारों को अपील करने या अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना वन अधिकार दावों को खारिज कर दिया गया है। इसने सीधे तौर पर एफआरए अनिवार्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया। वन अधिकार नियमों के नियम 13 में साक्ष्य के कई रूपों को मान्यता दी गई है, जिसमें गांव के बुजुर्गों की गवाही और ग्राम सभा द्वारा क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इन्हें व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज किया गया है। राज्य विशिष्ट साक्ष्य मांगना जारी रखते हैं। गुजरात में, उपग्रह इमेजरी, जो जंगल पर कब्जे का निर्धारण नहीं कर सकती है, जो कि कानून की आवश्यकता है, को अनिवार्य साक्ष्य माना गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर दावों को खारिज किया गया। दूरदराज के कार्यालयों में मानव ऑपरेटरों द्वारा जमीनी सत्यापन के बिना भूखंडों को चिह्नित करने, भू-संदर्भन में त्रुटियों और गलत मानचित्रण के कारण बड़े पैमाने पर गलत तरीके से दावों खारिज किये गए हैं। इसके अलावा, अन्य पारंपरिक वनवासियों (ओटीएफडी) के दावों में कुल मिलाकर खारिज किये जाने के दर में वृद्धि देखी गई है। 31.01.2025 तक, जनजातीय कार्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, 18,06,890 (अठारह लाख छह हजार आठ नब्बे)

दावे खारिज किए जा चुके हैं। हालांकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत वन अधिकारों (आईएफआर) पर मासिक रिपोर्ट किए गए आंकड़े अत्यधिक अविश्वसनीय हैं और अक्सर बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाते हैं।

2. वनवासियों का निरंतर अपराधीकरण और गैरकानूनी बेदखली: वन अधिकार अधिनियम द्वारा वनवासियों को बेदखली से स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान किए जाने के बावजूद, बड़े पैमाने पर विस्थापन बेरोकटोक जारी है। कई राज्यों में, 2005 से पहले वन भूमि पर खेती करने वाले वनवासियों को उनके दावों पर कार्रवाई किए जाने से पहले ही वन विभाग द्वारा जबरन बेदखल कर दिया गया था। इन लोगों को अब अपने अधिकारों का दावा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, गलत तरीके से खारिज किए गए दावों के कारण खुद ही बेदखली हो गई है जो गैर कानूनी है। मध्य प्रदेश के रीवा और बुरहानपुर जिलों में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां वन विभाग ने बल प्रयोग किया है, खड़ी फसलों को नष्ट किया है और जुर्माना लगाया है। बेदखली के साथ साथ, वन आश्रित समुदायों के अधिकारों का अपराधीकरण, उनपर जबरन केस लगाना, उन पर लगातार निगरानी रखना, उनकी अपनी उपभोग कि जमीन तक पहुँच पर रोकटोक और उसे सीमित करना, उनके खेती के जमीन पर विभाग द्वारा जबरन फेन्स लगाना इत्यादि ऐसे कई मामले कई क्षेत्रों में सामने आये हैं और रिपोर्ट भी हुए हैं।

3. तकनीकी बाधाएँ और बहिष्कृत डिजिटल प्रणालियाँ: मध्य प्रदेश में वन मित्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरूआत ने समीक्षा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के बजाय अतिरिक्त बाधाएँ पैदा की हैं। कई वनवासियों के पास स्मार्ट फ़ोन, इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता तक पहुँच नहीं है, जिससे उनके लिए दावा प्रस्तुत करने और ऑनलाइन अपील प्रक्रियाओं को नेविगेट करना असंभव हो जाता है। इन पोर्टलों का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और उसे कारगर बनाना था, लेकिन इसके बजाय प्रक्रियागत उल्लंघन, बड़े पैमाने पर फिर से दावों का खारिज होना और ग्राम सभाओं को दरकिनार करना पड़ा है। ये प्लेटफॉर्म अक्सर खराब हो जाते हैं, ठप्प पड़ जाते हैं, दावेदारों के खातों को लॉक कर देते हैं और सही दस्तावेज़ अपलोड करने में विफल रहते हैं। डिजिटल सबमिशन पर विशेष निर्भरता ने सबसे हाशिए के समुदायों के लिए अपने कानूनी अधिकारों तक पहुँचना लगभग असंभव बना दिया है। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलने से, नौकरशाही कि ताकत को आगे बढ़ाया है, जिसके कारणवश अब वन अधिकारों के सम्बन्ध में पंचायत अधिकारियों और जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, जो दावों की पुष्टि और अनुमोदन में FRA-अनिवार्य अधिकारियों - ग्राम सभा और वन अधिकार समिति को अवैध रूप से दरकिनार कर रहे हैं। इससे कुछ अधिकारियों के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, जो सीधे तौर पर एफआरए के विकेंद्रीकृत, लोकतांत्रिक और भागीदारी भेरे दृष्टिकोण और कानूनी प्रणाली को कमज़ोर कर रहा है। कई राज्य सरकारें अब नए प्रधानमंत्री-जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जुगा) कार्यक्रम के तहत MoTA द्वारा प्रचारित ऐसी तकनीक और ऐप-आधारित पोर्टल को लागू करने की योजना बना रही हैं। इससे और अधिक राज्यों में FRA के कार्यान्वयन में बाधा आएगी। पारदर्शिता लाने के लिए विशेष रूप से अमिलेखों का भंडार रखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग उचित है। हालांकि, दावा आरंभ करने और निर्धारण की विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी के माध्यम से बदलना FRA के खिलाफ है। MoTA ने वन मित्र आवेदन के बारे में भी गंभीर चिंताएँ

जताई हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे 2 अप्रैल को न्यायालय को इन बिंदुओं से अवगत कराने जा रहे हैं या नहीं।

4. **गैर-मान्यता से लेकर विस्थापन तक:** बीते कुछ वर्षों में, वन और पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने, विकास हस्तक्षेपों के नाम पर जंगलों और संसाधनों को कॉपरेट और निजी शोषण और डायवर्जन के लिए खोलने, साथ ही बहिष्कृत संरक्षण हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने में वृद्धि हुई है। ये सभी राज्य-कॉपरेट संचालित विकास हस्तक्षेप, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पैसा, 1996), FRA, 2006 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के 2006 के बाघ संशोधन का उल्लंघन करते हुए किए जा रहे हैं, जिससे चलते अधिकारों की गैर-मान्यता और विस्थापन में वृद्धि हुई है। FRA अपनी प्रस्तावना में वनवासी समुदायों के भू-स्वामित्व और पहुँच अधिकारों की लंबे समय से चली आ रही असुरक्षा को दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें राज्य के विकास हस्तक्षेपों के कारण अपने आवास से स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था। FRA बेदखली और विस्थापन के खिलाफ स्पष्ट सुरक्षा प्रदान करता है और किसी भी स्थानांतरण और पुनर्वास के लिए पूर्व-आवश्यकताओं के रूप में अधिकारों की मान्यता और अधिग्रहण के साथ-साथ ग्राम सभा की स्वतंत्र सूचित सहमति को स्थापित करता है। दावों को खारिज करने, लंबित दावों पर निर्णय लेने में देरी तथा पुनर्वास के दबाव के कारण वनवासियों को बेदखली, विस्थापन और पुनःस्थापन के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। समुदायों के पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता देने और व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वामित्व को सुरक्षित करने के लिए एफआरए के कानूनी जनादेश के बावजूद प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिरोध इसके कार्यान्वयन को कमजोर कर रहे हैं। संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के कारण 1,00,000 से अधिक लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने हाल ही में टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों से 64,८०१ परिवारों यानी तकरीबन ४ लाख लोगों के विस्थापन में तेजी लाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही औद्योगिक और ढांचागत परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का हस्तांतरण और वन दोहन बेरोकटोक जारी है। पिछले 15 वर्षों में, 3 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को "विकास" उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया जिसमें ६० हजार हेक्टेयर भूमि का आवंटन केवल माइनिंग के लिए रहा। वन भूमि के इस तरह के हस्तान्तरण और परिवर्तन को अक्सर वन अधिकारों की मान्यता और ग्राम सभा की सहमति के बिना ही अंजाम दिया जाता है, जो सीधे तौर पर एफआरए प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसे उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय और अन्य [(2013) 6 एससीसी 476] में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा कि "अगर जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले लोग संरक्षण और पुनर्जनन उपायों में शामिल हों तो जंगलों के बचने की सबसे बेहतर संभावना है," और स्थापित किया कि एफआरए के तहत वन भूमि के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की सहमति एक अनिवार्य शर्त है।

गुजरात का केस स्टडी

मध्य प्रदेश की तरह, गुजरात में भी एफआरए कार्यान्वयन खरी दावों के उच्च दर, दावों के निर्णय में देरी और चयनात्मक क्रियान्वयन द्वारा चिह्नित रहा है। गुजरात में खारिज दावों कि समीक्षा प्रक्रिया

गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2013 में शुरू हुई, फिर भी अप्रैल 2024 तक, 46% दावे या तो लंबित हैं या खारिज कर दिए गए हैं। 200८ से 2013 तक, 1.13 लाख दावों को केवल BISAG (भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फोर्मेटिक्स) द्वारा तैयार उपग्रह इमेजरी के आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था, जो कि एफआरए द्वारा निर्धारित पद्धति नहीं है और वन अधिकार नियम 2008 के नियम 13 के विरुद्ध है। इस दोषपूर्ण दृष्टिकोण ने अन्य पारंपरिक वनवासियों (ओटीएफडी) को असंगत रूप से प्रभावित किया, जहाँ चिंताजनक रूप से केवल 14.4% से कम अनुमोदन दर के साथ दावों कि स्वीकृति दिखी। गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के दावों को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, और गुजरात के केवल 14 जिलों तक ही फरा के कार्यान्वयन को सीमित कर दिया गया, तथा कच्छ, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जैसे क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। ग्राम सभाओं द्वारा 98% दावों को मंजूरी देने के बावजूद, उप-मंडल स्तर समितियों (SDLC) ने केवल 62% को स्वीकार किया, जो SDLC और जिला स्तरीय समिति (DLC) स्तर पर शक्ति का दुरुपयोग और मनमाना प्रयोग दर्शाता है। इन प्राधिकारियों ने अक्सर बिना कोई औचित्य प्रदान किए आवेदित क्षेत्र से कम दावा क्षेत्रों को मंजूरी दी है—तब भी जब GPS डेटा ने दावों में आवेदित कुल बड़े क्षेत्र का समर्थन किया हो। यह सीधे तौर पर FRA का उल्लंघन करता है, जो दावों की प्रकृति और सीमा शुरू करने, सत्यापित करने और निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार ग्राम सभा को देता है। SDLC और DLC के पास FRA के तहत कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित दावों की सीमा को मनमाने ढंग से बदल या कम कर सकें। तीनों स्तरों पर देरी लगातार बनी हुई है, पिछले दो वर्षों में केवल 6,000 दावों का निपटान किया गया है, इस बीच, GEER (गुजरात पारिस्थितिकी शिक्षा और अनुसंधान) फाउंडेशन की अपारदर्शी मानचित्रण प्रक्रिया ने खारिज दावों के दर को और बढ़ावा दिया है। एफआरए में दिए गए साक्ष्यों की सूची का पालन किए बिना, उपग्रह इमेजरी पर अत्यधिक निर्भरता ने सही दावों को गलत तरीके से नकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन असंगत रहा है, सक्रिय वन अधिकार समूहों वाले क्षेत्रों में थोड़े बेहतर प्रवर्तन के साथ, जबकि अन्य क्षेत्र अभी हाशिए पर बने हुए हैं।

मुख्य बिंदु

- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि वन अधिकार अधिनियम पूरी तरह से संवैधानिक है और खारिज दावों की समीक्षा की प्रक्रिया के साथ-साथ अधिकारों की मान्यता को भी अपने उचित क्रियान्वयन के लिए अपना समय और प्रवाह देना चाहिए। कोर्ट में इस मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MOTA) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खारिज किए गए दावों की समीक्षा स्पष्ट दिशा-निर्देशों का पालन करती है जो प्राथमिक निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में ग्राम सभा के अधिकार और भूमिका को बनाए रखते हैं और FRA के तहत सत्यापन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार हैं। मंत्रालय को मनमाने ढंग से दावे खारिज किए जाने को रोकने, तर्कपूर्ण आदेशों की आवश्यकता और मौखिक गवाही और स्थानीय सत्यापन सहित कई तरह के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करने चाहिए।

- प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल FRA कार्यान्वयन प्रक्रिया को पूरक और समर्थन देने के लिए किया जाना चाहिए - जैसे कि दस्तावेजों का रिकार्ड बनाए रखना, दावेदारों को दावे की स्थिति को ट्रैक करने की सहूलियत देना और रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना।
- टाइगर रिजर्व और अन्य संरक्षित क्षेत्रों से तब तक कोई बेदखली और पुनर्वास नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सभी दावों - जिनमें समीक्षाधीन खारिज दावे भी शामिल हैं - को FRA के अनुपालन में सत्यापित नहीं किया जाता है। मंत्रालय सख्त निर्देश जारी करे कि जब तक कि दावेदार अपील के सभी रास्ते खत्म नहीं कर लेते तब तक जबरन बेदखली प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को FRA और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
- टाइगर रिजर्व और अन्य संरक्षित क्षेत्रों से तब तक कोई विस्थापन और पुनर्वास नहीं होना चाहिए जब तक कि सभी दावों - जिनमें समीक्षाधीन दावे भी शामिल हैं - को एफआरए के अनुपालन में संसाधित/सत्यापित नहीं किया गया हो; साथ ही स्थान्तरण और पुनर्वास पैकेज के लिए उनकी सहमति - जिससे उचित मुआवज़ा और सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित हो सके, प्राप्त नहीं हुई हो।
- दावा आरंभ करने, सत्यापन और निर्णय लेने में ग्राम सभा के वैधानिक अधिकार और भूमिका की पुष्टि की जानी चाहिए, ताकि प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्था द्वारा ग्राम सभा कि शक्तियों पर अतिक्रमण को रोका जा सके। किसी भी दावे की खारिज करने पर उसको लिखित कारण के साथ अपील का उचित अवसर देते हुए सम्बंधित आवेदक व् ग्राम सभा को सूचित किया जाना अनिवार्य है।
- सुनिश्चित किया जाए कि, खनन, बुनियादी ढांचे और संरक्षण के लिए वन भूमि के डायवर्जन को एफआरए प्रावधानों, विशेष रूप से स्वतंत्र और पूर्व सूचित ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता का सख्ती से पालन करना अनिवार्य हो।

- २६ मार्च २०२५

जारीकर्ता